

इसे वेबसाईट [www.govtprintmp.nic.in](http://www.govtprintmp.nic.in) से  
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 61 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 14 फरवरी 2020—माघ 25, शक 1941

वाणिज्यिक कर विभाग  
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच(05).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19 सन् 2017) की धारा 9 की उपधारा (1) और धारा 15 की उपधारा (5) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1-पांच (42), दिनांक 5 अगस्त, 2017 में निम्नलिखित और आगे भी संशोधन करती है, यथा :—

उक्त अधिसूचना में,—

क. अनुसूची I — 2.5% में,—

- (i) क्रम सं. 33क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 164 के समक्ष स्तम्भ (3) की प्रविष्टि में, मद ii के बाद निम्नलिखित मद को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा :—
  - "iii मैरीन फ्यूल 0.5% (एफओ)" ;
  - (iii) क्रम सं. 224 के समक्ष, स्तम्भ (2) की प्रविष्टि के स्थान पर प्रविष्टि "63 [6305 32 00, 6305 33 00, 6309]" को प्रतिस्थापित किया जाएगा;
  - (iv) क्रम सं. 234ख और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“234ग

8509

वेट ग्राइन्डर जिसमें पत्थर लगा हो”;

(v) क्रम सं. 235 से 242 को, और उनसे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जायेगा;

ख. अनुसूची II — 6% में,—

(i) क्रम सं. 80क और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“80क	3923 या 6305	पॉलिइथीलीन या पॉलिप्रोपाइलीन स्ट्रिप्स और इसी प्रकार के प्रदार्थों से बने व्युत्ति और अव्युत्ति बैग्स और सैक्स, चाहे ये लेमिनेटेड हों या नहीं, और जिनका प्रयोग वस्तुओं की पैकिंग में किया जाता हो”;
(ii)	क्रम सं. 201क तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;	
(iii)	क्रम सं. 205 और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—	
“205क	8601	एक बाह्य विद्युत् स्रोत या विद्युत् एक्यूमीलेटर से चलते वाले रेल लोकोमोटिव्स.
205ख	8602	अन्य रेल लोकोमोटिव्स; लोकोमोटिव परिचारक; जैसे कि डीजल—विद्युत् लोकोमोटिव्स, भाप से चलने वाले लोकोमोटिव्स और इसके परिचारक.
205ग	8603	स्वतःनोदित रेलवे या टामवे कोचेस, वैन और ट्रक, जो शीर्ष 8604 से भिन्न हो.
205घ	8604	रेल या ट्राम अनुरक्षण या सर्विस यान, चाहे स्वतःनोदित हैं या नहीं (उदाहरणार्थ, कर्मशाला क्रेने, ब्लास्ट टैंपर्स, ट्रैक लाइनर, परीक्षण कोच और पथ निरीक्षणयान).
205ङ	8605	रेलवे या ट्रामवे यात्री कोचेस जो स्वतःनोदित न हों; मालगाड़ी, डाकघर के कोचेस और अन्य विशेष प्रयोजन के लिये रेलवे या ट्रामवे कोचेस, जो कि स्वतःनोदित न हों (शीर्ष 8604 से भिन्न).
205च	8606	रेलवे या ट्रामवे मालगाड़ी और वैगन, जो स्वतःनोदित न हों
205छ	8607	रेलवे या ट्रामवे लोकोमोटिव्स या रॉलिंग-स्टॉक; जैसे कि रेल डिब्बे, बिसल-रेल डिब्बे, एक्सल्स और पहिये, और इनके पुर्जे.
205ज	8608	रेलवे या ट्रामवे की पटरियों को फिक्स और फिट करने के लिए; यांत्रिक सिगनल (विद्युत्-यांत्रिक सहित), रेलवे, ट्रामवे, सड़क, इलैंड बाटर बेज़, पार्किंग सुविधाओं, पत्तन स्थापना या एयरफील्ड की सुरक्षा या ट्रॉफिक नियंत्रण यंत्र; उपरोक्त के पुर्जे”;
(iv)	क्रम सं. 231ख के समक्ष, कॉलम (3) में “स्लाइड फास्टर्नर्स” शब्द के बाद, “और इसके पुर्जे”, शब्दों को अंतःस्थापित किया जाएगा;	

ग. अनुसूची III — 9% में,—

(i) क्रम सं. 24क के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द “नारियल पानी”, के पश्चात् शब्द “कैफीनेटेड पेय”, प्रतिस्थापित किए जाएंगे;

- (ii) क्रम सं. 108 के समक्ष, कॉलम (3) में शब्द “प्लास्टिक के क्लोजर्स” के पश्चात् कोष्ठक, अक्षर और अंक “[अनुसूची  
(ii) क्रम संख्या 80कक के अंतर्गत आने वाले मदों को छोड़कर]” को अंतःस्थापित किया जाएगा;
- (ii) क्रम सं. 400 के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि में,

“निम्नलिखित मोटर वाहन जिनकी लम्बाई 4000 एमएम, से अधिक न हो, यथा :—”

(क) पेट्रोल, लिक्यूफाइड पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) या कम्प्रेस्ड नेचुरल गैस (सीएनजी) से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1200 सीसी से अधिक न हो; और

(ख) डीजल से चलने वाले वाहन जिनकी इंजन क्षमता 1500 सीसी से अधिक न हो दिव्यांग व्यक्तियों के लिये, बशर्ते कि :

भारत सरकार के भारी औद्योगिक विभाग के उप सचिव रैंक से अन्यन कोई अधिकारी से यह प्रमाणित करवाना होगा कि उक्त माल का प्रयोग दिव्यांग व्यक्तियों वाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा; और जैसा कि उक्त विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुसार किया जाएगा”, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम सं. 446 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

घ. अनुसूची IV — 14% में,—

- (i) क्रम सं. 12, और इसमें दी गयी प्रविष्टियों के बाद निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जायेगा, यथा :—

“12क 2202 99 90 कैफीनेटेड पेय पदार्थ”;

ड. अनुसूची V — 1.5 % में,—

- (i) क्रम सं. 3, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (ii) क्रम सं. 4, तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

च. अनुसूची VI — 0.125% में,—

- (i) क्रम सं. 2 में कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि “बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न चाहे ये कर्मित किए गए हों या नहीं या श्रेणित हों या नहीं लेकिन इनको पिरोया, आरुढ़ या जड़ा न गया हो; अन्य श्रेणित बहुमूल्य रत्न (हीरे से भिन्न) और उप रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिये अस्थायी रूप से गूंथे गए हो” को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (ii) क्रम सं. 2क और उससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा;

- (iii) क्रम सं. 3 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर, प्रविष्टि, “संशिलष्ट या पुनर्संनिर्मित रत्न या उप रत्न चाहे कर्मित या श्रेणीकृत हैं या नहीं, किन्तु जो गूंथे, आरुढ़ या जड़े नहीं हैं; अश्रेणीकृत, संशिलष्ट या पुनः संनिर्मित रत्न जो परिवहन की सुविधा के लिये अस्थायी रूप से गूंथे गए हैं, को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

- (iv) क्रम सं. 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को लोप किया जाएगा;

2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अक्टूबर, 2019 से प्रवृत्त समझी जायेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 14 फरवरी 2020

क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय के अधिसूचना क्र. एफ ए-3-33-2017-1-पांच (05), दिनांक 14 फरवरी 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
रत्नाकर झा, उपसचिव।

Bhopal, the 14th February 2020

No. F A-3-33-2017-1-V(05).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 9 and sub-section (5) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the State Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F-A3-33-2017-I-V (42) dated the 29<sup>th</sup> June, 2017, namely :—

In the said notification,—

**A. in Schedule I — 2.5 %**

- (i) S. No. 33A and the entries relating thereto shall be omitted;
- (ii) against S. No. 164, in the entry in column (3), after item ii, the following item shall be inserted, namely :—  
"iii. Marine Fuel 0.5% (FO);
- (iii) against S. No. 224, for the entry in column (2), the entry "63 [other than 6305 32 00, 6305 33 00, 6309], shall be substituted;
- (iv) after S. No. 234B and the entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely :—

"234C	8509	Wet grinder consisting of stone as grinder";
-------	------	----------------------------------------------

- (v) S. Nos. 235 to 242 and the entries related thereto, shall be omitted;

**B. in Schedule II — 6 %**

- (i) after S. No. 80A and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted namely :—

"80AA	3923 or 6305	Woven and non-woven bags and sacks of polyethylene or polypropylene strips or the like, whether or not laminated, of a kind used for packing of goods";
-------	--------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- (ii) S. No. 201A and the entries relating thereto shall be omitted;

- (iii) after S. No. 205 and the entries relating thereto, the following S. Nos. and entries shall be inserted, namely :—

"205A	8601	Rail locomotives powered from an external source of electricity or by electric accumulators.
-------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------

205B	8602	Other rail locomotives; locomotive tenders; such as Diesel-electric locomotives, Steam locomotives and tenders thereof.
205C	8603	Self-propelled railway or tramway coaches, vans and trucks, other than those of heading 8604.
205D	8604	Railways or tramway maintenance or service vehicles, whether or not self-propelled (for example, workshops, cranes, ballast tampers, track liners, testing coaches and track inspection vehicles).
205E	8605	Railway or tramway passenger coaches, not self-propelled; luggage vans, post office coaches and other special purpose railway or tramway coaches, not self-propelled (excluding those of heading 8604).
205F	8606	Railway or tramway goods vans and wagons, not self-propelled.
205G	8607	Parts of railway or tramway locomotives or rolling-stock; such as Bogies, bissel-bogies, axles and wheels, and parts thereof.
205H	8608	Railway or tramway track fixtures and fittings; mechanical (including electro-mechanical) signalling, safety or traffic control equipment for railways, tramways, roads, inland waterways, parking facilities, port installations or airfields; parts of the foregoing";

(iv) against S. No. 231B, in column (3), after the words "Slide fasteners", the words "and parts thereof" shall be inserted;

#### C. in Schedule III — 9 %

- (i) against S. No. 24A, in column (3), after the words "coconut water", the words "and caffeinated beverages" shall be inserted;
- (ii) against S. No. 108, in column (3), after the words "other closures, of plastics", the brackets, words, letters and figures "(except the items covered in Sl. No. 80AA in Schedule II), shall be inserted;
- (iii) in S. No. 400, for the entry in column (3), the entry, "Following motor vehicles of length not exceeding 4000 mm, namely :—
  - (a) Petrol, Liquefied petroleum gases (LPG) or compressed natural gas (CNG) driven vehicles of engine capacity not exceeding 1200 cc; and
  - (b) Diesel driven vehicles of engine capacity not exceeding 1500 cc for persons with orthopedic physical disability, subject to the condition that an officer not below the rank of Deputy Secretary to the Government of India in the Department of Heavy Industries certifies that the said goods shall be used by the persons with orthopedic physical disability in accordance with the guidelines issued by the said Department", shall be substituted;
- (iv) S. No. 446, and the entries relating thereto shall be omitted;

## D. in Schedule III — 14 %

- (i) after S. No. 12 and the entries relating thereto, the following S. No. and the entries shall be inserted, namely :—

"12A.	22029990	Caffeinated Beverages";
-------	----------	-------------------------

## E. in Schedule V — 1.5 %

- (i) S. No. 3 and the entries relating thereto shall be omitted;  
(ii) S. No. 4 and the entries relating thereto shall be omitted;

## F. in Schedule VI — 0.125 %

- (i) in S. No. 2 for the entry in column (3), the entry, "precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded precious stones (other than diamonds) and semi-precious stones, temporarily strung for convenience of transport", shall be substituted;  
(ii) S. No. 2A and the entries relating thereto shall be omitted;  
(iii) in S. No. 3, for the entry in column (3), the entry, "Synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, whether or not worked or graded but not strung, mounted or set; ungraded synthetic or reconstructed precious or semiprecious stones, temporarily strung for convenience of transport", shall be substituted;  
(iv) S. No. 4 and the entries relating thereto, shall be omitted;

2. This notification shall deemed to have come into effect on the 1<sup>st</sup> day of October, 2019.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,  
RATNAKAR JHA, Dy. Secy.